न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/127/2022	2022/276	07.11.2022	09.12.2025

1.सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), राजगढ, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री सुबे खां पुत्र श्री चांद खां, निवासी खिरनी खोहरा, तहसील रैणी, जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985।

अनुपस्थितः—
01. श्री प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि
02. श्री सुबे खां —अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 30.09.2022 को फजरु खां निवासी विनजारी द्वारा दूरभाष पर शिकायत की गई कि श्री सुबे खां पुत्र श्री चांद खां निवासी खिरनी बोहरा, तहसील रैणी, जिला अलवर द्वारा नकली डीएपी का बेचान किया जा रहा है। हमारे द्वारा भी 4 बैग डीएपी के प्रति बैग 1600 रुपए के हिसाब से खरीदे गए। जब हमने कट्टे खोले तो उसमें नकली डीएपी भरा हुआ था। हमारे द्वारा कट्टों को वापस लेकर उसके घर पर गए और रुपए लौटाने की बोले तो सुबे खां द्वारा बताया कि मैं कोई पैसे वापस नहीं दूंगा। मेरे से आपने माल नहीं खरीदा है। शिकायत की जांच करने दिनांक 30.09.2022 को दोपहर के लगभग 1:00 में स्वयं उर्वरक निरीक्षक विश्राम मीणा व श्री गिरधर सिंह देवल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगड़ गांव खिरनी खोहरा पहुंचे। मौके पर श्री सुबे खां के घर की बगल में गैराज में 30 वैग इफको डीएपी व डीएपी आईपीएल के 7 बैग, कुल 37 बैग मिले । श्री सूबे खां से डीएपी बैग के बारे में पूछा कि आप द्वारा कट्टे कहां से खरीदे गए, तो उन्होंने बताया कि मैं रिश्तेदार से लेकर आया हूं। थोड़ी देर बाद कहा कि मैंने पिकअप वाले से खरीदे थे। इसके उपरांत श्री सुबे खां से कहा कि आप इन कट्टों को अवैध रूप से बेचान क्यों कर रहे हो तथा डीएपी की एमआरपी 1350 रुपए है जबकि आप द्वारा 1600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया बेच रही है। श्री सुबे खां द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया कि उन्होंने डीएपी कहां से क्रय किया है। शिकायतकर्ता व सुबे खां के परिवार वालों के बीच आपसी कहासुनी हुई। माहौल खराब होने की वजह से पुलिस का सहयोग लिया गया। शिकायतकर्ता थी फजरु खां व रोबदिन के बयान लिए गए। दोनों ने बताया कि 1600 रुपए प्रति वैग की दर से 4 वैग 6400 रुपए में खरीदे गए थे। इफको डीएपी के बैग थे। जो नकली हैं। श्री सुबे खां के बयान लेने पर अवगत कराया कि मैंने इनको कट्टे नहीं दिए। झ यह है कि पुलिस आने पर मौका रिपोर्ट श्री गिरधर सिंह देवल, सहायक निदेशक कृषि राजगढ़, श्री पवन कुमार यादव, कृषि पर्यवेक्षक, फरुख खां, रोबदिन, इंद्र लाल मीणा व अन्य कृषकों की मौजूदगी में तैयार की गई। पुलिस की गाड़ी जब मौके पर आई तो श्री सूबे खां व उनके परिवारजन फरार हो गए। उक्त की मौजूदगी में नकली डीएपी संदेह होने के कारण प्रपत्र च निरीक्षण प्रतिवेदन, मौका पर्चा व आवश्यक दस्तावेज तैयार कर नमूना संग्रहण कार्य किया गया। एक नमूना इफको डीएपी व एक नमूना आईपीएल डीएपी का लिया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उक्त की मौजूदगी में मौके पर नमूने को तैयार कर प्रपत्र डालकर कपड़े की थैलियों व प्लास्टिक की थैलियों में रखकर, पीतल की सील की सहायता से चपडी से सील किया गया। नमूना संग्रहण कार्य कर मौके पर उपस्थित सभी के समक्ष जब्ती की कार्यवाही की गई। मौके पर ही जब्ती नोटिस दिया गया व आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए। जब्त आदान को पिकअप में भरवाकर जीएसएस डोरोली व्यवस्थापक श्री हरीराम बेरवा को सुपुर्द किया गया। व्यवस्थापक से शपथ व सुपुर्दगी प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त किए। इसके उपरांत पुलिस थाना राजगढ़ में श्री सूबे खां पुत्र श्री चांद खां निवासी खिरनी खोहरा तहसील रैणी जिला अलवर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया । पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0558 दिनांक 30.09.2022 मेरे से हस्ताक्षर प्राप्त कर एक प्रति मुझे प्राप्त कराई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 6195–97 दिनांक 01.10.2022 द्वारा उक्त प्रकरण की सूचना श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय जयपुर, श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर व श्रीमान उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, अलवर को भिजवाई गई। दिनांक 30.09.2022 को जब्त उर्वरक का नमूना जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 6198 दिनांक 01.10.2022 द्वारा श्रीमान उपनिदेशक कृषि (गु.नि.), राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला को भिजवाया गया एवं शेष दो नमुने रेफरी कार्यालय के पत्रांक 6199 दिनांक 01.10.2022 द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर की अभिरक्षा में भेजे गये। कार्यालय के पत्रांक 6200–01 दिनांक 01–10–2022 द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर जिला अलवर, श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, जयपुर, को दुकान सील की सूचना से सूचित किया गया। कार्यालय के पत्रांक 6203–04 दिनांक 01–10–2022 द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, जयपुर से जब्त डीएपी उर्वरक की ऑफलाइन नमूनों की विश्लेषण की अनुमति चाही गई। श्री सूवे खां द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर डीएपी का वेचान करने, बिना अनुज्ञापत्र के अवैध कारोबार करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है। जो दंडनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 () के तहत जब्त उर्वरक को राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बाबजूद रजिस्टर्ड तलवी अप्रार्थी अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्त किए गए डीएपी उर्वरक को राजसात करने और उसके निस्तारण के संबंध में है, जिसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के साथ सहपठित किया गया है। दिनांक 30-09-2022 को शिकायतकर्ता फजरु खां द्वारा दूरभाष पर शिकायत की गई कि अप्रार्थी सुबे खां नकली डीएपी का बेचान कर रहा है और निर्धारित दर (MRP ₹1350/–) से अधिक दर ₹1600/–प्रति बैग) पर बेच रहा है। जाँच के दौरान, उर्वरक निरीक्षक व सहायक निदेशक कृषि ने अप्रार्थी के घर के बगल में स्थित गैराज से कुल 37 बैग डीएपी (30 इफको डीएपी व 7 आईपीएल डीएपी) बरामद किए। अप्रार्थी माल की खरीद का कोई वैध दस्तावेज या अनुज्ञापत्र (स्पबमदेम) पेश नहीं कर सका। इस प्रकार उसने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन किया। मौके पर पुलिस बुलाई जाने पर अप्रार्थी सुबे खां अपने परिवार सहित फरार हो गया। नियमानुसार, जब्त माल के नमूने विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए तथा FIR क्रमांक 0558 दिनांक 30.09.2022 पुलिस थाना राजगढ़ में दर्ज कराई गई। प्रार्थना पत्र दर्ज होने के उपरांत, अप्रार्थी श्री सुबे खां को नियमानुसार पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी कर तलब किया गया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड तलबी के बावजूद अप्रार्थी श्री सुबे खां आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित है और अपना पक्ष रखने में विफल रहा है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य (निरीक्षण प्रतिवेदन, मौका पर्चा, जब्ती नोटिस, शिकायतकर्ता के बयान) से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी सुबे खां बिना किसी वैध लाइसेंस/अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से उर्वरक का कारोबार कर रहा था। उसने डीएपी को निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP ₹1350/–) से अधिक दर पर (₹1600/–) बेचकर कालाबाजारी की। जब्त उर्वरक के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नकली होने का संदेह है, और इसे अवैध रूप से संग्रहित/बेचा जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का गंभीर उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण, यह स्थापित होता है कि जब्त माल को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत उपयोग किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्त (30 वैग इफको डीएपी व डीएपी आईपीएल के 7 बैग, कुल 37 बैग) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), राजगढ, जिला अलवर राज0 को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जब्त (30 वैग इफको डीएपी व डीएपी आईपीएल के 7 बैग, कुल 37 बैग) को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), राजगढ, जिला अलवर राज0 को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)